न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—77 / 2013 (2013 / 00111) वाद पत्र

अनवान

1—मुकेश आत्मज बंशीलाल पाराशर निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1—प्रहलाद आत्मज बंशीलाल पाराशर निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—माया पुत्री बंशीलाल पाराशर निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—गोपीलाल आत्मज छोगालाल कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—अब्बास अली आत्मज ईस्माईल मंसुरी निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—सुरेश आत्मज हजारी सेन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—श्रीमान् तहसीलदार एवं पदेन उपपंजीयक महोदय रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—हरलाल पुत्र घीसा कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता वादीगण
2. हरिश टेलर — अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः—12.10.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 हिन्दु होकर हिन्दु विधि से शासित होते है तथा संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 सयुक्त हिन्दु परिवार की मौरूषी कृषि आराजी संख्या 4973 / 1370 रकबा 0.05 है0 ग्राम बोराणा में स्थित है। जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वादी का जन्म से ही हक व हिस्सा है तथा वादी के पिता ने उक्त कृषि आराजी मे अपने 1 / 4 हिस्से मे से 1 / 40 हिस्सा को बिना किसी विधिक आवश्यकता के व वादी को अपने हक से महरूम करने की गरज से प्रतिवादी संख्या 3 को विक्रय कर दिया तथा शेष हिस्सा भी विक्रय करने पर आमाद हो रहे है। वादग्रस्त भूमि मे से 0.015 है0 भूमि आबादी में समपरिवर्तन है जो अन्य खातेदारान की है व वादी के परिवार के हिस्से की भूमि कृषि भूमि ही है। वादग्रस्त भूमि से वादी को हक से महरूम करने की गरज से प्रतिवादी संख्या 4, 5 को इकरारनामा निष्पादित कर दिया है जिसकी जानकारी वादी को प्रतिवादी संख्या 4, 5 द्वारा वादी के हिस्से की कब्जेशुदा भूमि पर जबरन ताकत के बल पर जेसीबी मशीन लगाकर आनन फानन में मजदुर कारीगर लगाकर दूकान का निमार्ण करना शुरू कर दिया। [illegible] पर वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है जिससे वादी के हिस्से की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाया जाना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने वादी के हिस्से की भूमि पर जबरन ताकत के बल पर अवैध कब्जा कर निर्माण शुरू कर दिया है तथा वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है। सड़क सीमा के पास कांग्रेस नियमो के विरूद्ध निमार्ण कर लिया है जिससे प्रतिवादीगणो को स्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.07 17:07:16 IST
Reason: SelfAttested

से रोका जाना आवश्यक हो गया है। वादग्रस्त आराजी संख्या 4973/1370 रकबा 0.05 है0 के विभाजन से पूर्व आराजी संख्या 1370 रकबा 0.14 है0 थे तथा जिसके साबिक नम्बर 430 रकबा 13 बिस्वा थे साबिक जमाबन्दी संवत 2026 से 2029 की तथा मिलान क्षैत्रफल की नकले पेश की है। वादी की सादर प्रार्थना है कि बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक डिक्री सादिर फरमाई जावे कि ग्राम बोराणा की आराजी संख्या 1473/1370 रकबा 0.05 है0 में वादी के पिता के 1/4 हिस्से में वादी का 1/3 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 के पक्ष में लिखा गया विक्रय पत्र वादी के मुकाबले बेअसर होकर शुन्य है तदानुसार राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम अमल दरामद करने का आदेश प्रदान फरमाया जावे। साथ ही बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वादग्रस्त भूमि मे से अपने हिस्से को किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस नही करें तथा प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 किसी प्रकार का निर्माण न तो स्वयं करें, न किसी अन्य से करावे तथा वादी के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे तथा प्रतिवादी संख्या 6 राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 4, 5 इस आशय की आदेशात्मक आज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी 4, 5 द्वारा जबरन ताकत के बल पर किये गये अवैध निर्माण को प्रतिवादीगण स्वयं अपने खर्चे से हटवाया जाकर कब्जा पुनः वादी को दिलाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को समन जारी किये गये। समन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तक व 5 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 6 फौरमल पक्षकार है जिससे कोई राहत नही चाही गई।

प्रतिवादी संख्या 4 की ओर अपने जवाब में अंकन किया कि वादपत्र की कलम संख्या 1 व 2 को अस्वीकार करते हुए आराजी संख्या 4973/1370 रकबा 0.05 है0 स्थित होना अंकन है स्वीकार है। वादवर्णित भूमि में वादी का हिस्सा नही बनता है। वादी के पिता बंशीलाल जिससे प्रतिवादी ने जायज प्रतिफल अदा कर 3/111 हिस्सा क्रय किया है एवं उस पर काबिज है। वादी के पिता ने अपनी जायज जरूरत पुरी करने से हिस्सा विक्रय किया एवं मौके पर कब्जा सिपूर्द किया है। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया है कि प्रतिवादी को वादी के पिता द्वारा कब्जा सिपूर्द किया है जिस पर काफी लागत लगाकर निर्माण कर प्रतिवादी काबिज है। वादी जो बंशीलाल का पुत्र है जिन्होने वाद पेश है जिसका कोई हक व हिस्सा इस भूमि पर नही है। प्रतिवादी ने जायज प्रतिफल अदा कर भूमि क्रय कर विक्रय पत्र निष्पादित करवाया है। अतः प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत वादपत्र खारीज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.07 17:07:16 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई

वादी अधिवक्ता द्वारा वाद में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य कथन किया कि मुल खातेदार बंशीलाल के दौराने वाद वादी का 1/4 हिस्सा का विभाजन किया चाहा गया था किन्तु दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 1 बंशीलाल की मृत्यु होने पर अब वादी का 1/3 हिस्सा निहित है इससे 1/3 हिस्सा घोषित कराया जावे।

प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण के पिता द्वारा उनकी जरूरत पुरी करने के लिये प्रतिवादी 4 को 9/40 हिस्से मे से 3/111 हिस्सा भूमि रजिस्टर्ड दस्तावेज विक्रय की गई है। उसी आधार पर प्रतिवादी संख्या 4 के हिस्से में भूमि रखी जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया वादवर्णित भूमि में वादी के पिता का 1/4 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है वादी के पिता द्वारा घरेलु आवश्यकता के लिये 1/40 हिस्सा गोपी पिता छोगालाल कुमावत को विक्रय किया एवं गोपी के द्वारा हरलाल पिता घीसा कुमावत को विक्रय किया है जो प्रतिवादी सख्या 7 है और वादी के पिता द्वारा उनके हिस्से की सीमा तक मे से शेष 9/40 हिस्से मे से 3/111 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 अब्बास अली को रजिस्टर्ड दस्तावेज से विक्रय किया है और वादी के पिता के नाम जो शेष हिस्सा रहा वो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रहा है जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा बनता है।

उपरोक्त विवरण अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर में वादवर्णित आराजी संख्या 4923/1370 रकबा 0.05 है0, भूमि में वादी के पिता बंशीलाल पिता शंकरलाल फोत होने से उनके 1/4 हिस्से मे 1/40 हिस्सा हरलाल पिता घीसा कुमावत जो प्रतिवादी सख्या 7 है, शेष 9/40 हिस्से मे से 3/111 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 अब्बास अली के एवं वादी के पिता के नाम जो शेष हिस्सा 293/1480 रहा जिसमें से वादी का 293/4440 हिस्सा, और इसी तरह प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 586/4440 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.07 17:07:16 IST
Reason: SelfAttested

12.10.2021

(सुन्दरलाल बम्बोड़ा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–77/2013 (2013/00111) वाद पत्र

अनवान

1–मुकेश आत्मज बंशीलाल पाराशर निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–प्रहलाद आत्मज बंशीलाल पाराशर निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–माया पुत्री बंशीलाल पाराशर निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–गोपीलाल आत्मज छोगालाल कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–अब्बास अली आत्मज ईस्माईल मंसुरी निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–सुरेश आत्मज हजारी सेन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–श्रीमान् तहसीलदार एवं पदेन उपपंजीयक महोदय रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–हरलाल पुत्र घीसा कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर में वादवर्णित आराजी संख्या 4923/1370 रकबा 0.05 है0, भूमि में वादी के पिता बंशीलाल पिता शंकरलाल फोत होने से उनके 1/4 हिस्से में 1/40 हिस्सा हरलाल पिता घीसा कुमावत जो प्रतिवादी सख्या 7 है, शेष 9/40 हिस्से मे से 3/111 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 अब्बास अली के एवं वादी के पिता के नाम जो शेष हिस्सा 293/1480 रहा जिसमें से वादी का 293/4440 हिस्सा, और इसी तरह प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 586/4440 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

वाद में डिक्री आज दिनांक 12.10.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

12.10.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.07 17:07:16 IST
Reason: SelfAttested